<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4667

23 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

इस्पात स्क्रैप नीति

4667. श्री अरूण सावः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में इस्पात स्क्रैप नीति को कार्यान्वित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पेश किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या स्क्रैप केन्द्र उक्त नीति की मुख्य विशेषताओं के अनुसार स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त नीति में शामिल की जाने वाली संभावित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्क्रैप केन्द्रों को मंजूरी देने में शामिल मंत्रालयों के नाम क्या हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): जी हां। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 7 नबंबर, 2019 की अधिसूचना संख्या 354 के माध्यम से भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। यह नीति विभिन्न स्त्रोतों से उत्पादित फेरस स्क्रैप तथा विभिन्न उत्पादों के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराती है। यह नीतिगत रूपरेखा एक संगठित, सुरक्षित तथा पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से संग्रहण, विखण्डन तथा श्रेडिंग क्रियाकलापों के लिए मानक दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है। यह नीति विखंडन केंन्द्रों और प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश और उत्तरदायित्व, एग्रीगेटरों की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माता और मालिकों के उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार, देश में स्क्रैप केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार की भूमिका उद्यमियों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय वाणिज्यिक आधारों पर लिया जाता है।

(घ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री पर कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है। यह स्क्रैप की ब्रिकी के समय लागू दिशानिर्देशों और प्रचलित बाजार की विद्यमान परिस्थितियों द्वारा अभिशासित होगा।

(ङ): स्क्रैप केंद्रों को राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों की प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

****